//कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म.प्र.)//

क्रमांक 13 /आपदा प्रबंधन/2020, अलीराजपुर दिनांक 24 /04/2020

//परिपत्र//

प्रायः देखने में आया है कि जिला स्थापना अलीराजपुर के न्यायालय परिसर में अत्यावश्यक कार्य व्यवस्था के अंतर्गत रिमाण्ड ड्यूटी/जमानत सबंधी आवेदन पत्रों के निराकरण के समय संबंधित अधिवक्तागण, के साथ पक्षकारगण भी न्यायालय परिसर में प्रवेश करते है और उनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय आपदा कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए, गृह मंत्रालय/राज्य शासन/माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र क्यू. 05 दिनांक 25.03.2020 में सोशल डिस्टेंसिंग रखे जाने बाबत् आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र कमांक क्यू 9 जबलपुर दिनांक 24.04.2020 के परिपेक्ष्य में माननीय मुख्य न्यायाधीपती महोदय के द्वारा जारी निर्देशानुसार वर्तमान में अलीराजपुर में कोविड–19 के संक्रमण को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कोई भी कोविड–19 से संक्रमित न हो सके।

अतः अधिवक्तागण से अपेक्षा है कि वे रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान प्रतिदिन दोपहर 01:00 बजे से 02:00 बजे तक की अवधि में अपने पक्षकारों को जिला न्यायालय परिसर में साथ न लावें, इसके साथ ही वे अपने तर्क जिला न्यायालय परिसर के अधिवक्ता हॉल में लगी व्ही.सी. के माध्यम से संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगें, किसी भी अधिवक्ता, अभियुक्त, पक्षकार को न्यायालय कक्ष में जहॉ पर पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। जैसी की व्यवस्था पूर्व से ही की जा चुकी है। न्यायालय परिसर के अधिवक्ता हॉल में लगी व्ही.सी. के माध्यम से व्ही हेतु केवल एक अधिवक्ता एवं उसका वरिष्ठ अधिवक्ता को व्ही.सी. कक्ष में प्रवेश दिया जावेगा। इसके पश्चात बारी–बारी से अधिवक्ताओं को सामाजिक दूरी हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार प्रवेश दिया जावेगा। वर्तमान में इस संबंध में पृथक से कार्यालय विविध आदेश कं 25/आपदा/एस.डब्ल्यू/108(28)/2020 अलीराजपुर दिनांक 23 अप्रेल 2020 जारी किया गया है, जिसमें आवश्यक समस्त दिशानिर्देश जारी कर दिये गये है। अधिवक्तागण जहॉ तक संभव हो अपने निवास/कार्यालय से व्ही.सी. करने का प्रयास करें, ताकि लॉक डॉउन अवधी में किसी प्रकार के जोखीम को डाला जा सके।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि अधिवक्तागण के साथ कोई पक्षकार आते है, तो उनका जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा।

अपरिहार्य/आपवादिक परिस्थिति में ही रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान सत्र न्यायाधीश/पीठासीन अधिकारी से अनुमति लिये जाने के उपरांत ही पक्षकार को न्यायालय परिसर मे बुलाये जाने की अनुमति दी जावेगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अधिवक्तागण भी पूर्णतः पालन सुनिश्चित करेंगें। यदि कोई स्टेक होल्डर पक्षकार आदि उक्त निर्देशों का पालन न करते हुए, एवं विवाद करते हुए पाये जाते है, तो उसके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)

पृ. क्र.404 आपदा/एस.डब्ल्यू/108(28)/2020 अलीराजपुर दिनांक24/04/2020
प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायाधीश, अलीराजपुर/जोबट ।
3. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग, अलीराजपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वे जिला नाजिर/नजारत अनुविभाग के माध्यम से उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करेंगें। ताकि पक्षकार न्यायालय परिसर में अनावश्यक प्रवेश न करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग के निमयों का पालन सुनिश्चित हो।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ, अलीराजपुर /जोबट की ओर समस्त अधिवक्ताओं को अवगत कराये जाने हेतु।
6. सिस्टम असिस्टेंट, अलीराजपुर की ओर उक्त संबंधीत को ई–मेल से प्रेषित किये जाने हेतु।

24-4-20
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
अलीराजपुर (म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CIRCULAR

No. Q-9 Jabalpur dated 24th April 2020

To,

All District and Sessions Judges,
State of Madhya Pradesh,

Sub.:COVID-19 – Nationwide lock down – Directions of Hon'ble the Chief Justice.

Ref.:Order No.Q-5 dated 25.03.2020 and Video Conferencing guideline for the District Courts during the lock down period dated 20.04.2020.

Kindly refer to the above Circular and Guidelines by which it was directed that hearing of the cases, in lock down period, ought to be only through Video Conferencing and restricted to the cases only of **urgent nature**, which is to be decided by the concerned District Judge or in case of Family Courts matter, concerned Principal Judge of Family Court. However recently it has been experienced that at many places in the state of Madhya Pradesh Court Rooms are being opened for hearing which are overcrowded and the direction of social distancing is not fallowed. That is not only in violation of the directions but also dangerous for the society at large.

The aforesaid state of affairs is contravention of the guidelines and directions issued by the High Court from time to time. Hon'ble the Chief Justice has expressed deep concern over it and keeping in mind all the situations his Lordship has been pleased to direct that the physical

Scanned with

presence of Advocates, Litigants and all the stakeholders should strictly be prohibit in those court rooms where presiding officer and staffs are discharging their duties.

It is further directed that during the lockdown period only Advocates, accused and necessary parties shall be permitted to enter into the Court premises and as per requirement he/she will be authorized to take part, one by one, in the hearing through video conferencing. Meaning thereby that only one Advocate or/ and his senior advocate shall be permitted to enter into the V.C. room.

At the time of hearing through V.C., in the V.C. room of the Court campus, all precautionary measures shall be taken as directed by the High Court of M.P. and Central Government as well as by the State Government from time to time. Moreover the Advocates should be encouraged to conduct V.C. from their home or office and avoid any kind of hazard during lockdown period of COVID-19.

BY ORDERS OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE

24.4.2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL